न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/174 **दायरा दिनांक : 17.10.2022**

उनवान

प्रबल कुमार, उम्र 19 वर्ष, पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश, जाति ब्राह्मण, निवासी सोरखण्डकलां, तहसील अंता, जिला बारा, राज०

.... अपीलांट

बनाम

1. बाबू लाल पुत्र किशन लाल, जाति धाकड, निवासी आमापुरा, तहसील बांरा, जिला बांरा, राज०
2. ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मण, जाति धाकड, निवासी आमापुरा, तह० व जिला बांरा राज०
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बांरा जिला बांरा
4. सोसरबाई बेवा बद्री लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी श्रीजी का चौक, बांरा .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री श्यामलाल सुमन अभिभाषक **अपीलांट की ओर से रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

निर्णय **दिनांक : 10.01.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान **काश्तकारी अधिनियम 1955** न्यायालय **उपखण्ड** अधिकारी, बारां के **प्रकरण संख्या – 02/2010 निर्णय व** डिक्री **दिनांक 28.09.2021** से अप्रसन्न होकर पेश की गई **है।**

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी अपीलांट **ने एक** वाद अन्तर्गत धारा **88, 89, 90, 91, 183 राजस्थान** काश्तकारी अधिनियम **1955 पेश** कर एक प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 212** राजस्थान काश्तकारी **अधिनियम पेश किया** और **यह** कथन किया **कि ग्राम आमापुरा, तहसील** बारां में कृषि भूमि **हाल खासरा नंबर 133** रकबा 1.04 **हेक्टेयर, खसरा नंबर 135** रकबा 0.12 हेक्टेयर एवं **खसरा नंबर 136** रकबा 0.27 हेक्टेयर **कुल 3 किता कुल** रकबा 1.43 हेक्टेयर स्थित **है। अधीनस्थ** न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, **बारां ने अपने** निर्णय व डिक्री दिनांक **28.09.2021 से प्रतिवादी** का प्रार्थना पत्र आदेश **7 नियम 11** सी.पी.सी. स्वीकार कर वादी का **वाद खारिज कर** दिया जिससे अप्रसन्न **होकर अपीलांट ने** यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश **न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।** वादिया **गुलाब** बाई ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांरा के सम्माननीय न्यायालय में अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 91 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ग्राम आमापुरा, तहसील व जिला बांरा राज० की भूमि रेस्पोडेन्ट (प्रतिवादी) कम–01 व 02 के नाम पूर्व खसरा नंबर 106 डोहली से नये

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नंबर 133 रकबा 1.04 हेक्टर, खसरा नंबर 135 रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नंबर 136 रकबा 0.27 हेक्टर कुल रकबा 1.43 हेक्टर बताकर प्रस्तुत किया। जिस वाद में प्रतिवादीगण ने अपनी जवाबदेही उपरोक्त खसरा नं० के अनुसार की है। उपखण्ड अधिकारी, बारां ने भी धारा 212 राज०टी० एक्ट के अन्तर्गत इन्हीं खसरा नं. का आदेश पारित किया है किन्तु सेटलमेंन्ट विभाग ने रिकार्ड में खसरा नं0 106 का नया नंबर 102 है एवं खसरा नं. 102 से पर्चा सम्वत 2032 से 2057 पर्चा मिलान से नये नम्बर 120 रकबा 0.99 हे०, खसरा नंबर 121 रकबा 0.08 हे०, खसरा नंबर 122 का रकबा 0.04 हेक्टर तथा खसरा नं. 123 का रकबा 1.33 हेक्टर कुल 4 किता रकबा 2.66 हे० हुए। जो वर्तमान में प्रतिवादी रेस्पो० 1 व 2 के साथ साथ शंकर लाल वल्द लक्ष्मण एवं श्योजीलाल पुत्र किशन लाल धाकड जो प्रतिवादी नं० 2 के भाई हैं के नाम दर्ज कर दिया। अतः भूमि का विवाद होने से सहवन से टाइप की मिस्टेक से खसरा नं. गलत दर्ज हो गये। इस कारण वादी ने प्रस्तुत वाद को न्यायालय की अनुमति से वापिस लेकर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभिवचन में सहवन से त्रुटि होने के कारण प्रस्तुत वाद में वाद कारण शेष रहने से नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति अधीनस्थ न्यायालय से विड्रो की अनुमति दी जाने हेतु अनुमति न्यायहित में होने से प्रस्तुत की है जिस पर कोई जवाबदेही रेस्पो० प्रतिवादीगण ने नहीं की है। प्रार्थना पत्र के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को वाद अंतर्गत धारा 23 सी पी सी के तहत वापिस वादिनी को लौटाया जाना चाहिए और नये वाद की अनुमति दी जानी चाहिये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं कर के वाद वापिस नहीं लौटाया जाकर कानूनी त्रुटि की है। प्रतिवादी रेस्पो० ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपी-सी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वाद खातेदारी गलत रूप से अंकन कर दिया है। उक्त वादीगण को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। जबकि जवाब प्रार्थना पत्र में वाद के जवाब दावे में कोई आपत्ति अंकन नहीं की है इस कारण प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद बिना विचार किये निरस्त फरमा दिया जो त्रुटिपूर्ण है। वादीगण का प्रार्थना पत्र का यदि वादी वाद को विड्रो कर नया दावे की अनुमति चाहता है तो वाद न्यायालय को लौटा देना चाहिये और नैसर्गिक न्याय के अनुसार नये वाद उसी कोज ऑफ एक्शन के साथ फैसला दिया जाना चाहिये। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने विड्रो के प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं कर के कानूनी त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत केवल वाद पत्र को देखना होता है जिसमें वाद का कारण अंकित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम बिन्दु पर गौर नहीं फरमा कर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र विड्रो वाद का दिया है तो न्यायालय केवल विड्रो पर ही पक्षकारो को सुनना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करके कानूनी त्रुटि की है। प्रस्तुत वाद गुलाब बाई ने प्रस्तुत किया था। गुलाब बाई की मृत्यु हो चुकी है। वादिया गुलाब बाई ने गोद पुत्र नाबालिक प्रबल कुमार को रखा है जो उसका विधिक उत्तराधिकारी है। मृतक गुलाब बाई ने गोदनामा दिनांक 30.04.2014 को समस्त चल-अचल सम्पत्ति का वारिस घोषित किया हुआ है। जिसका वली चन्द्र प्रकाश पुत्र सोहन लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी सोरखण्डकला का है किन्तु अब प्रबल कुमार वयस्क हो गया है। अतः यह अपील श्रीमान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के यहां प्रबल कुमार द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत निर्णय की डिकी नहीं बनाई है। अतः निर्णय से ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 28.09.2021 सव्यय खारिज फरमाई जाकर वाद को विड्रो कर के नया वाद्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाने की अनुमति प्रदान की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.08.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलांट वादी नाबालिग था, जो बालिग हो गया और गुलाबबाई का निधन होने से यह अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट/वादी ने दिनांक 18.12.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 23 का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया, जिसकी नकल रेस्पोडेंट प्रतिवादी के अभिभाषक को दी गई। रेस्पो0/प्रतिवादी के अभिभाषक ने कोई जवाब उक्त प्रार्थना पत्र का नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई प्रजेन्टेशन नहीं किया और ना ही कोई उल्लेख किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने विड्रो के प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं कर प्रतिवादी/रेस्पोडेंट का आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है। जो प्राकृतिक व सार्वभौमिक न्याय के सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी के प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नहीं की, न कोई जवाब प्रतिवादीगण से लिया। महज आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर वाद निरस्त किया है जो कानून के सिद्धांतो के विपरीत होने है निरस्तनीय है।

अपीलांट वादी वर्तमान में यह जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 के साथ साथ शंकर लाल वल्द लक्ष्मण, श्योजीराम पुत्र किशनलाल निवासी आमापुरा जो प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 के भाई है, नाम वर्ज हो गया, जिनको भी वाद विड्रो करके अपीलांट/वादी नये वाद में इसी वाद कारण के अनुरूप जोड़ना चाहता है। जो सहवन से नाम अंकित नहीं हो सके। जिसकी अनुमति के साथ विड्रो का प्रार्थना पत्र अपीलांट/वादी ने प्रस्तुत किया है।

अधीनस्थ न्यायालय में न्यायालय की आदेशिका के अनुसार रेस्पोडेंट प्रतिवादी ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.05.2019 को दिया, जिसको आदेशशीट पर दिनांक 02.05.2019 को प्रार्थना पत्र लेना अदालत की पेशी पर बता दिया। प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र के पृष्ठ 2 पर तारीख 03.05.2019 अंकित है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जिसके बाद पेशी 27.05.2019 नियत हुई । अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का गौर नहीं करते हुए रेस्पोडेंटे प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जो निरस्त होने योग्य है। क्योंकि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में विड्रो का प्रार्थना पत्र पेश किया, अतः न्याय के सिद्धांतों के अनुसार वाद को विड्रो की अनुमति के साथ नया वाद प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया जाना चाहिए ।

न्याय निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार डी. एन. जे. 2018 में सुच्चा सिंह सोढी बनाम बलदेव राज बालिया व अन्य के प्रकरण में पृष्ठ सं. 832 में आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. के अनुसार वाद विड्रो करके नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति पृष्ठ सं. 42 पर विड्रो की स्वीकृति दी है और पैरा नं. 47 में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र को खारिज़ किया है और अपील को स्वीकार किया है। श्रीमान का ध्यान उक्त निर्णय पर आकर्षित करना चाहता है कि वाद विड्रो करने की अनुमति दी जाकर नया वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाये और आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाये और वाद को रिमाण्ड करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को विड्रो करने व नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये तथा डी.एन.जे. 2024(1) पेज 338, 2018 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 832 पेश की।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रीमान अपीलांट/वादी की अपील स्वीकार फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाये और अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाये कि वाद विड्रो कर नया वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति वादी/ अपीलांट को प्रदान की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया । प्रतिवादीगण कम सं. 1 व 2 द्वारा जवाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। **तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 03.06.2019 को आदेश 7 नियम** 11 सी.पी.सी. **का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि** ***'वाद पत्र में विवादित आराजी ग्राम आमापुरा, तहसील बांरा में खसरा नम्बर 133 रकबा 1.04 हेक्टर, खसरा नं. 135*** *रकबा 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.27 हेक्टर कुल 3 किता रकबा 1.43 हेक्टर स्थित है जिसे वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से वर्णित किया गया है। उक्त आराजी का पूर्व खसरा नम्बर 106 डोहली रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा खातेदार सीताराम वल्द नन्नूराम व बद्रीलाल वल्द घासीलाल ब्राहमण जमाबंदी संवत 2012–2015 में दर्ज होना बताया है।*

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उक्त विवादित आराजी का साबिक खसरा नम्बर 106 का सम्वत 2015 से 2024 में सेटलमेंट के दौरान नया नम्बर 102 कायम हुआ तथा 102 का नया नम्बर 120 लगायत 123 कायम हुआ जो संवत 2038 से 2040 की जमाबंदी में अंकित है।

खसरा नम्बर 133 का साबिक खसरा नम्बर 104 है तथा खसरा नम्बर 135 व 136 का साबिक खसरा नम्बर 133 है।

वादी द्वारा गलत खसरा नम्बरान जो वादी की खातेदारी की है गलत रूप से अंकन कर प्रस्तुत कर दिया है तथा धारा 212 के प्रार्थना पत्र में गलत नम्बरान पर रिसीवरी का आदेश प्राप्त कर लिया गया है। उपरोक्त आराजीयात पर वादीगण का कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है। उक्त आराजियात प्रतिवादी की खाते एवं कब्जे काश्त की है।"

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपने आदेश दिनांक 28.07.2021 से वादी अपीलांट का वाद खारिज किया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को निर्णित कर आदेश जारी करने से पूर्व वादी द्वारा दिनांक 18.12.2019 को आदेश 23 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपीलांट वादी ने आदेश 23 सी.पी.सी. के अपने प्रार्थना पत्र में वाद पत्र में खसरा **नम्बर सहवन से गलत दर्ज हो जाने से वर्तमान विचाराधीन वाद को नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विड्रो करने की आज्ञा प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय को वादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 सी.पी.सी. पर सुनवाई करते हुए विधिवत रूप से कारण अंकित करते हुए या तो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी प्रार्थी को नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ वर्तमान वाद को विड्रो करने की आज्ञा देनी चाहिए थी या प्रार्थना पत्र खारिज करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया और प्रार्थना पत्र अनिर्णित छोड़ दिया जो विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।** वादपत्र में केवल **खसरा नम्बर गलत दर्ज हो जाने से वाद कारण समाप्त नहीं हो जाता। वादी अपीलांट का प्रार्थना पत्र निर्णित** नहीं होने एवं **विचाराधीन वाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11** सी.पी.सी. के **तहत खारिज होने से वादी अपीलांट न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से** वंचित रह **गये जो प्राकृतिक न्याय** के सिद्धांतों **के विपरीत है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.2021 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 सी.पी.सी. पर सुनवाई कर प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.03.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/01/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा